

1  
2019/01/07/070  
प्रषक,

संख्या-468/18-2-2020-12(ल0उ0)/2019

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु-2 लखनऊ :दिनांक:20 सितम्बर, 2020  
विषय: उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(स्थापन एवं संचालन सरलीकरण)  
अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थापना की प्रक्रिया को सरल किया जाय। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे कई कदम उठाये गये हैं जिससे कि प्रदेश में किसी भी उद्यमी को अपने उद्योग की स्थापना हेतु किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा आसानी से नये उद्योग की स्थापना हो सके। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में राज्य सरकार के विभिन्न अंगों, संगठनों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बहुत अहम भूमिका है, जिनके निष्ठापूर्वक दायित्वों के निर्वहन से प्रदेश में औद्योगीकरण की गति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 लागू किया गया है। अधिनियम लागू किये जाने का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों से छूट प्रदान करना है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. प्रदेश में एम.एस.एम.ई. के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र, घोषणापत्र एवं यथापेक्षित समस्त प्रपत्रों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति निम्नवत् होगी-

- (1). सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट - सदस्य
- (2). क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य
- (3). अधिशाषी अभियन्ता, उ.प्र. विद्युत निगम लि० सदस्य
- (4). उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त सदस्य
- (5). क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सदस्य
- (6). सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय सदस्य
- (7). जिला अग्निशमन अधिकारी सदस्य
- (8). उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सदस्य-सचिव

इस अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत उद्यमी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र तथा अन्य विभागों यथा राजस्व, श्रम, प्रदूषण, ऊर्जा एवं अग्नि सुरक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र भी दाखिल किया जाएगा। जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किये गये उक्त आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं अन्य प्रपत्रों का उसी समय परीक्षण करते हुए इसका विवरण प्रार्थना पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में इस हेतु अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

2. उद्यमी से प्राप्त उपरोक्त प्रार्थनापत्र तथा सभी संबंधित प्रपत्रों की जाँच करने के उपरान्त उपायुक्त द्वारा संबंधित विभागों हेतु इनकी प्रतियां बनाई जाएगी तथा इन्हें संबंधित विभागों को तुरन्त ई-मेल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से प्रेषित करने के साथ ही अविलम्ब सम्बन्धित विभागों को भौतिक रूप से भी प्राप्त कराया जाएगा। तत्पश्चात उपायुक्त/सदस्य सचिव द्वारा पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के लिए जिला मजिस्ट्रेट से समय और तिथि निर्धारित कराने का अनुरोध किया जाएगा ताकि उक्त अधिनियम के अनुसार अधिकतम 72 घण्टे के अन्दर ये अनुमतियां जारी की जा सकें। यदि जिला मजिस्ट्रेट उक्त समय के अंतर्गत बैठक करने में असमर्थ हैं, तो अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पत्रावली की एक-एक प्रति संबंधित विभाग को परिचालन द्वारा तुरन्त इस अपेक्षा के साथ भेजी जाएगी कि वह अगले 48 घण्टे में अपने विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर अपनी सहमति समिति के सदस्य सचिव/उपायुक्त को उपलब्ध कराएं।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अन्तर्गत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार तथा इसी संहिता के अन्तर्गत जिलाधिकारी को 20.2344 हेक्टेयर (50 एकड़) तक की भूमि के अर्जन अथवा क्रय के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिधानित है। इस हेतु अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रार्थना पत्र के साथ ही देना होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नारंगी व हरी श्रेणी की इकाईयों के लिए अनापत्ति/सहमति का अधिकार उOप्रO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किया जा चुका है।

5. श्रम विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को श्रम विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया जा चुका है।

6. ऊर्जा विभाग द्वारा 20 किलोवाट तक का औद्योगिक संयोजन **झटपट पोर्टल** के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 20 किलोवाट से अधिक औद्योगिक संयोजन को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सामान्यतः 4 दिवस के अन्दर समाधान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

7. आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण स्तर पर महायोजना के अंतर्गत प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उद्यमी के आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 वर्गमीटर के छोटे प्लॉट पर 48 घण्टे के अन्दर अनुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

8. उपरोक्तानुसार उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात उद्यमी को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनोपरान्त 72 घण्टे के अन्दर अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार की अभिस्वीकृतियां औद्योगिक विकास विभाग के निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी तथा निर्धारित रजिस्टर में भी क्रमानुसार दर्ज किया जाएगा।

9. जिलाधिकारी द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों की पाक्षिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में कोई भी प्रार्थनापत्र 72 घण्टे से अधिक लम्बित न रहे तथा निर्धारित अवधि में अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जायें। उद्यमियों को अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा शिथिलता के लिए सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त, उद्योग जो कि इस हेतु नोडल अधिकारी हैं, उत्तरदायी होंगे।

10. इस प्रकार निर्गत अभिस्वीकृति प्रमाणपत्रों का प्रभाव निम्नानुसार होगा:—

1—(i) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन निर्गत अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में प्रभावी माने जायेंगे मानो वह जारी किये जाने के दिनांक से 1000 दिवस की अवधि के लिए धारा-2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(ii) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट 1000 दिवस की अवधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजनार्थ या तत्सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

(iii) औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 8 और 15 सिवाय समस्त अन्य धारायें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रभावी होंगी।

2— जहाँ सरकार या तदधीन कोई प्राधिकारी किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे सम्बन्धित किसी उपबन्ध से छूट प्रदान करने

में समर्थ हो, वहाँ यथास्थिति सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारा 8 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 1000 दिवस की अवधि के लिए राज्य में स्थापित किसी उद्यम को ऐसी छूट प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

11. उपरोक्तानुसार जारी किये गये सभी अभिस्वीकृति प्रमाणपत्रों तथा अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों की त्रैमासिक समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय राज्य प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

1. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन - अध्यक्ष

2. सम्बन्धित विभागों(राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं गृह विभाग) के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव - सदस्य

3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन - संयोजक सदस्य

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/ संयुक्त आयुक्त उद्योग उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त उद्योग उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।



आज्ञा से,  


(नवनीत सहगल)  
अपर मुख्य सचिव।

**Annexure-1**

**Declaration of Intent**

**(to be presented before Deputy Commissioner DIEPC)**

Under the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2020

<b><u>Applicant Details</u></b>	
Name of Applicant	
Aadhaar Number of Applicant	
Gender (Male/Female/Others)	
Social Category (General/SC/ST/OBC/Others)	
Phone no/Mobile Number	
E-mail ID	
<b><u>Enterprise Information</u></b>	
Name of the Undertaking/Enterprise	
PAN Number	
Major Activity of Enterprise (Manufacturing/Service)	
Products to be Manufactured/Services to be provided	
Category of Enterprise (Micro/ Small/ Medium)	
Type of Organization (Proprietary/Hindu Undivided Family (HUF)/Partnership/ Co-operative/ Private Limited/Public Limited/ LLP/ Self-help group/Others)	

<b>Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise</b>	
Plot No /Khasra no/House No.	
Name of premise/building	
Road/Street/Lane	
Landmark	
Area/ Locality	
Classification of Geographical Area (Rural/Urban)	
District	
Tehsil	
Village/Town/City	
PIN Code	
Phone No/Mobile no	
E-mail ID	

**Documents to be attached:**

1. Land related NOCs application forms (land related NOCs shall be sought in accordance with Revenue Code 2006 and bill 2016) on set Format no - 1 and 2
2. Electrical Safety related NOC application form on Format no - 3
3. Pollution related NOC application form on Format no - 4
4. Labour related NOC application form on Format no - 5
5. Fire Safety related NOC application form on Format no - 6

**Declaration**

I.....residingat.....  
state that I am authorized signatory for M/s.....  
and hereby give the following declaration and undertake that:-

1. I/We certify that the information furnished in Declaration of Intent under the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act 2020 and the rules made there under is true, correct and complete to the best of my/our knowledge & belief and no material information has been concealed.
2. I/We have read the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act 2020 and rules made there under and undertake to abide by them. In case of changes in above details, the same shall be intimated to the concerned Deputy Commissioner, DIEPC, at the earliest.
3. I/We are furnishing the Declaration of Intent for the enterprise which is a new enterprise as per definition provided the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act 2020.
4. I/We have not previously availed the Acknowledgement Certificate for the land or building or premises as mentioned in 'Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise' in Declaration of Intent.
5. I/We shall maintain the safety standards in operation of the enterprise to ensure safety and health of the workers and/ or employees.
6. I/We shall not engage in any manufacturing or service activity which is prohibited under the Act and the rules made thereunder or any other law which may pose serious threat to public health or law and order.

Date

Place

Name

Designation

(Signature of the Applicant under the seal)

**Annexure-2**

**Acknowledgment Certificate**

M/s.....has filed a Declaration of Intent dated.....under the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act 2020 to set up a ..... (Manufacturing/Service) enterprise. The matter was placed before the District Level Empowered Committee (DLEC) in its meeting dated..... and on the approval of the DLEC dated..... the receipt of the Declaration of Intent for the enterprise is hereby acknowledged with following details:

<b>Acknowledgment Details</b>	
Acknowledgment Number	
Date of Acknowledgement	
Validity of Acknowledgment	
Name of the Enterprise	
Type of Organization (Proprietary/Hindu Undivided Family (HUF)/Partnership/Co-operative/ Private Limited/Public Limited/ LLP/ Self-help group/Others)	
Official Address of Enterprise	
Location of the Enterprise	
Category of Enterprise (Micro/ Small/ Medium)	
Major Activity of Enterprise (Manufacturing/Service)	
Product(s) to be Manufactured/Service(s) to be rendered	



1. The Acknowledgement Certificate is issued under the provisions of section 7 of the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2020
2. Subject to provisions of the said Act and the rules made there under, it entitles the enterprise:
  - a. Exemption from approval under any Uttar Pradesh Law;
  - b. Exemption from inspection for the purpose of, or in connection with, any approval under any Uttar Pradesh Law;
  - c. Exemption from approval and inspection, in case of exemption granted under section 7 of the Act;
  - d. It can be presented to any Competent Authority or Bank or Financial Institution as and when required who shall treat it as valid approval as defined in clause(c) of section 2 of the Act for all the purposes.
3. This Acknowledgement Certificate is issued, subject to following conditions:
  - a. The provisions of the Uttar Pradesh Micro, Small, and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2020 and its applicability shall be limited to land or building, or premises and the activities mentioned in the Acknowledgement Certificate.
  - b. After the expiry of Acknowledgement Certificate, the enterprise shall have to obtain required pending approvals, for which no further intimation shall be provided.
  - c. In case of wilful submission of wrong information in Declaration of Intent or breach or contravention of any of the provisions mentioned anywhere in the Act and the rules made there under, the Acknowledgement Certificate shall be revoked as per provisions of the Act and rules made there under.
  - d. The Acknowledgment Certificate shall become void for the enterprise if it ceases to exist due to merger/split/demerger/acquisition/amalgamation/any other changes which otherwise are not mentioned in Declaration of Intent submitted to DLNA or if it ceases to be a Micro, Small or Medium enterprise.

(Signature of Deputy Commissioner, DIEPC under the seal)